

रेंगमा नगा तथा स्वायत्त ज़लिया परिषिद की मांग

प्रलिमिस के लिये:

रेंगमा नगा पीपुल्स काउंसलि, स्वायत्त ज़लिया परिषिद, रेंगमा नगा जनजाति


मेन्स के लिये:

उत्तर-पूर्व की नृजातीय समस्याएँ

चर्चा में क्यों?

रेंगमा नगा पीपुल्स काउंसलि (RNPC) या रेंगमा नगाओं ने असम में एक स्वायत्त ज़लिया परिषिद (ADC) की मांग की है।

- केंद्र और राज्य सरकारों ने हाल ही में 'कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसलि' (KAAC) और 'नॉर्थ कछार हलिस ऑटोनॉमस काउंसलि' (NCHAC) को 'बोडोलैंड टेरटियरियल काउंसलि' जैसी क्षेत्रीय परिषिदों में उन्नत किया है।
 - 'प्रादेशिक परिषिद का दरजा' उन्हें अधिक स्वायत्तता और वित्तीय अनुदान प्रदान करेगा।
- यह आरोप लगाया जाता है कि इन रेंगमा आदविसी परिषिदों के नरिमाण से नगाओं को जो कि इस भूमि के "वैध स्वामी" हैं, को भूमि से वंचाते कर दिया गया। KAAC और NCHAC दोनों नगालैंड के साथ सीमा साझा करते हैं।



प्रमुख बढ़ि:

रेंगमा नगा जनजाति:

- रेंगमा नगालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली एक नगा जनजाति है।
- इतिहास:
 - असम के कार्बी हलिस (तब मकिरि हलिस के रूप में जाना जाता था) में रहने वाले रेंगमा नगाओं की पहली आधिकारिक रकिंड़गि वर्ष 1855 में पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात एक बराटिशि अधिकारी मेजर जॉन बट्टलर द्वारा की गई थी।
 - बट्टलर ने बताया कि रेंगमा कार्बी आंगलोंग में 18वीं शताब्दी के शुरुआती हस्से में नगा पहाड़ियों से चले गए थे, इन्होंने अपने कई आदविसी रीत-रिवाजों को त्याग दिया और स्थानीय समुदायों के भीतर शादी की।
- त्योहार: रेंगमा नगाओं के फसल उत्सव को 'नगड़ा' कहा जाता है।

स्वायत्त ज़िला परिषद (ADC):

- संवधिन की छठी अनुसूची चार पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रपुरा और मजिओरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।
 - संवधिन के अनुच्छेद 244 (2) और अनुच्छेद 275 के तहत वशीष प्रावधान प्रदान किया गया है।
- आदविसीयों को स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद और ADCs के माध्यम से विधियी और कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता दी गई है।
- **स्वायत्त परिषदों की संरचना:**
 - प्रत्येक स्वायत्त ज़िला और क्षेत्रीय परिषद में 30 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, जिनमें से चार राज्यपाल द्वारा मनोनीत और बाकी चुनावों के माध्यम से निराचारित होते हैं। ये सभी पाँच वर्ष के कार्यकाल के लिये सतता में बने रहते हैं।
 - हालाँकि बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद एक अपवाद है क्योंकि इसमें अधिकतम 46 सदस्य हो सकते हैं।
- **राज्यपाल का नियंत्रण:**
 - स्वायत्तता की विभिन्न डिग्री के बावजूद छठी अनुसूची क्षेत्र राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण के बाहर नहीं आता है।
 - राज्यपाल को स्वायत्त ज़िलों को व्यवस्थित और पुनर्गठित करने का अधिकार है।
- **केंद्रीय और राज्य कानूनों की प्रयोजनीयता:**
 - संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित अधिनियम इन क्षेत्रों में तब तक लागू किये जा सकते हैं या नहीं लागू किये जा सकते हैं जब तक किशोरपति और राज्यपाल स्वायत्त क्षेत्रों के कानूनों में संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के उसे या उसकी मंजूरी नहीं देते।
- **सविलि और आपराधिक न्यायकि शक्तियाँ:** परिषदों को व्यापक दीवानी और आपराधिक न्यायकि शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं, उदाहरण के लिये गाँव में अदालतों की स्थापना आदि
 - हालाँकि इन परिषदों का अधिकार क्षेत्र संबंधित उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन है।
- **मौजूदा स्वायत्त परिषद:** संवधिन की छठी अनुसूची में 4 राज्यों में 10 स्वायत्त ज़िला परिषदें शामिल हैं। ये हैं:
 - असम: बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद और उत्तरी कछार हलिस/दीमा हसाओ स्वायत्त परिषद।
 - मेघालय: गारो हलिस स्वायत्त ज़िला परिषद, जंयंत्रिया हलिस स्वायत्त ज़िला परिषद और खासी हलिस स्वायत्त ज़िला परिषद।
 - त्रपुरा: त्रपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त ज़िला परिषद।
 - मजिओरम: चकमा स्वायत्त ज़िला परिषद, लाई स्वायत्त ज़िला परिषद, मारा स्वायत्त ज़िला परिषद।

रेंगमा नगा पीपुल्स काउंसिल (RNPC) के तरक़ि:

- रेंगमा असम के पहले आदविसी थे जिन्होंने वर्ष 1839 में अंगरेजों का सामना किया था।
 - लेकिन मौजूदा रेंगमा हलिस को राज्य के राजनीतिक मानचित्र से हटा दिया गया और वर्ष 1951 में मकिरि हलिस (अब कार्बी आंगलोंग) के साथ बदल दिया गया।
- वर्ष 1816 और 1819 में असम में बर्मी आक्रमणों के दौरान रेंगमा अंगरेजों ने अहोम शरणारथियों को आश्रय दिया।
 - अहोम भारतीय राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश का एक जातीय समूह है।
- वर्ष 1951 तक रेंगमा हलिस और मकिरि हलिस दो अलग-अलग संस्थाएँ थीं। रेंगमा हलिस का विभाजन वर्ष 1963 में असम और नगालैंड के बीच हुआ था।
 - रेंगमा हलिस में कारबीज़ का कोई इतिहास नहीं है।
 - नगालैंड राज्य के नरिमाण के समय वर्ष 1976 तक कारबी को मकिरि के नाम से जाना जाता था।
 - वे मकिरि हलिस के स्वदेशी आदविसी लोग थे।
- कारबी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (KAAC) की आबादी लगभग 12 लाख है और कारबी केवल 3 लाख हैं, शेष गैर-कारबी हैं, जिनमें रेंगमा नगा भी शामिल हैं, जिनकी आबादी लगभग 22,000 है।

NSCN (I-M) का पक्ष:

- 'नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड' या 'एनएससीएन (इसाक-मुझवा)' ने कहा है कि रेंगमा मुददा "इंडो-नगा राजनीतिक वारता" के महत्वपूर्ण एजेंडे में से एक था और कसी भी प्राधिकरण को अपने हातों को खत्म करने के लिये इतनी दूर नहीं जाना चाहिये।
- NSCN (IM) ने अगस्त 2015 में भारत सरकार के साथ एक नगा शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया थे, लेकिन समझौते को अंतमि रूप दिया जाना बाकी है।
 - NSCN (IM) की सबसे विवादास्पद मांगों में से एक एकीकृत नगा मातृभूमि का नरिमाण था, जिसे नगालैंड के साथ असम, मणपुर और अरुणाचल के नगा-आबादी क्षेत्रों को एकीकृत करके 'ग्रेटर नगालमि' कहा जाता था।

स्रोत: द हैट्टी